न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 26/2002
दायरा तिथि : 25.06.2002
निर्णय तिथि : 15.11.2016

प्रार्थीः–

1– राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीः–

1– स्व. पिरीया पि. स्व. चेला
जाति मेगवाल के का.मु
खुसालाल, समाराम, स्व.नेकाराम ,
स्व. पोमाराम
स्व. नेकाराम के का.मु. वाला,
कपा,पेमा, थाना
स्व. पोमाराम के का.मु. मूलाराम,
पत्नी सुमटी

2– स्व. गोपाल पुत्र जैतमल
जाति पुरोहित के का.मु. स्व.लालसिंह,
स्व.अजेतिंग, स्व.तेजसिह, स्व.खुमसिह
स्व. लालसिंह के का.मु. सोहनसिंह,
नारायणसिंह, बाबुसिह
स्व. अजेतिंग के का.मु
जवारसिंह,जबरसिंह, महेन्द्रसिंह,
रमेशसिंह, पत्नी जमनाबाई
स्व. तेजसिंह के का.मु. नरपतसिंह,
गणपतसिंह, अरविन्द, गीताबाई पत्नि
स्व. खुमसिंह के का.मु. वारिसान
भंवरसिंह, अमरसिंह, लक्ष्मणसिंह, पत्नी
शान्ती ,पुत्री गीता, अंशी, मंजू, जडाव
नरपत सिंह पुत्र रामसिंह के का.मु.
छैलकुंवर पुत्री, स्व. सिरे कंवर।
जातिगण पुरोहित ,निवासीगण बसंत
तह0 सुमेरपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि :– 15.11.2016

(1) यह है कि प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी), बाली वर्तमान तहसील सुमेरपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगणों के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बसंत तहसील सुमेरपुर मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 1 रकबा का 38.5 बीघा किस्म चाही सोयम (मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2020) में सें पिरीया वल्द चेला जाति भाम्बी (मेगवाल) निवासी बसंत का 1/4 हिस्सा दर्ज था। उक्त खसरा नं 1 का 1/4 हिस्सा विधि–प्रावधानों के विपरित राजस्व रेकर्ड से हटाकर अप्रार्थी सं. 02 के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी व मौके पर काबिज हो गये और इस प्रकार की विधि–विरूद्ध कार्यवाही असंवैधानिक है। अप्रार्थी सं. 01 अनुसूचित जाति का होने से अप्रार्थीगण संख्या 02 जो कि स्वर्ण जाति सदस्यगण ने वर्तमान खसरा 1,2 व 3 क्रमशः रकबा 2.73 हेक्टर, 2.73 हेक्टर व 0.90 हेक्टर कुल रकबा 6.36 हेक्टर बने है। उक्त आराजी मे सें 1/4 हिस्सा की भूमि हटवाकर राजस्व रेकर्ड में अवैध रूप से बिना किसी वैद्य रजिस्टर्ड दस्तावेज के अप्रार्थी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज करवा दी गई। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति के सदस्यों की खातेदारी कृषि भूमि या उनके हक–हिस्से की कृषि भूमि सवर्ण जाति के किसी भी सदस्य के नाम दस्तावेज या हस्तान्तरण द्वारा अन्तरण या काश्त–काबिज होना न्यायसंगत नहीं माना है एवं इसे असंवैधानिक करार दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

लगातार– पेज 02.....

Scanned by CamScanner

(2) यह है कि कथित प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पटवारी हल्का बसंत व भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने रेकर्ड व मौका स्थिति के बारे में जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, तहसीलदार सुमेरपुर की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन कर गहन परीक्षण किया। यह मामला सरहद मौजा बसंत तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 1 रकबा का 38.5 बीघा किस्म चाही सोयम जिसके वर्तमान खसरा 1,2 व 3 क्रमशः रकबा 2.73 हेक्टर, 2.73 हेक्टर व 0.90 हेक्टर कुल रकबा 6.36 हेक्टर बने है। जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक के खाता सं. 88 खसरा नं. 1 रकबा 2.73 हेक्टर में नरपतसिंह पुत्र रामसिंह, सिरेकंवर पुत्री दयालसिंह 1/2 हिस्सा , भोपाल पुत्र जसंवतसिंह, गुलाब पुत्र छत्तरसिंह, हनवंतसिह पुत्र नरपतसिंह 1/2 हिस्सा कौम राजपूत साकिन पावा, खाता सं. 6 खसरा नं. 2 रकबा 2.73 हेक्टर में अमृतसिंह पुत्र खुमसिंह पुरोहित निवासी बसंत व खाता सं. 87 खसरा नं. 3 रकबा 0.90 हेक्टर में नरपतसिंह पुत्र रामसिंह सिरेकंवर पुत्री दयालसिंह 1/4 हिस्सा , भोपाल पुत्र जसंवतसिंह, गुलाबसिंह पुत्र छत्तरसिंह, हनवंतसिह पुत्र नरपतसिंह 1/4 हिस्सा कौम राजपूत साकिन पावा, खुमा पुत्र भोपालसिंह 1/2 जाति पुरोहित साकिन बसंत खातेदार दर्ज है। मौके पर जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक के खातेदार नरपतसिंह पुत्र रामसिंह, सिरेकंवर पुत्री दयालसिंह जाति राजपूत के फौत होने से इनके का.मु. हनवंतसिंह पुत्र नरपतसिंह व खुमा पुत्र भोपालसिंह पुरोहित के फौत होने से उनके का.मु. अमरसिंह भंवरसिंह , लक्ष्मणसिंह पुत्र खुमसिंह, शांतिदेवी पत्नी खुमसिंह, गीतादेवी, अंशीदेवी, मंजूदेवी, जडावकंवर पुत्रीयां खुमसिंह कौम पुरोहित साकिन बसंत का कब्जा कास्त है।

फलतः प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति पर विचारण पश्चात् यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि के वादग्रस्त 1/4 हिस्से पर भूमि मेगवाल कौम जो अनुसूचित जाति के सदस्य है की भूमि पर सवर्ण जाति का असंवैधानिक कब्जा काश्त होने से हमारे विधिक विचारों में यह मामला कतिपय प्रावधान RTAct,1955 की धारा 175 की उपधारा 42(B) के तहत शर्तो का स्पष्टतः उल्लंघन है और ऐसी विधिक स्थिति में उल्लेखित कृषि भूमि का वादग्रस्त 1/4 हिस्सा भूमि जिस पर उपरोक्त वर्णित सवर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है, को बेदखल करते हुए इस हिस्सा भूमि को राज्यहित में सिवायचक घोषित कर कब्जा सरकार लिए जाने हेतु आदेश पारित करना न्यायोचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचनाओं व विश्लेषण के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बंसत तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा 1 रकबा 2.73 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम , खसरा नं. 2 रकबा 2.73 हेक्टर किस्म जाव सोयम चाही सोयम व खसरा नं. 3 रकबा 0.90 हेक्टर कुल रकबा 6.36 हेक्टर के 1/4 हिस्से पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों का असंवैधानिक तौर से कब्जा काश्त है को कतिपय प्रावधान राजस्थान कास्तकारी अधिनियम , 1955 की धारा 175 की उपधारा 42(B) के तहत राज्यहित में सिवायचक घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय एवं डिक्री की पालना में विधिनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर उक्त घोषित 1/4 हिस्सा भूमि से सवर्ण जाति के काबिज व्यक्तियों को बेदखल करके कब्जा राज्य सरकार के हित में लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे और इस घोषित हिस्सा भूमि को प्रति वर्ष कृषि कार्य प्रयोजन व व्यवस्था हेतु नियमानुसार निलामी कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे व इस न्यायालय को समय–2 पर अवगत् कराया जावे। निर्णय की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय बरोज आज दिनांक 15.11.2016 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner